

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 8/2017 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री हरिनारायण पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा
विक्रेता मैसर्स:—ए टू जेड डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुन्दरदास मार्ग, दौसा ।
2. Shri Gireesha Neema ईन्चार्ज व नोमिनी मैसर्स— ITC Limited, c/o Bikaner golden transport corp, near suncity Village-Bad pipali, NH-11, Jaipur sikar Highway, Jaipur, 302013
3. मैसर्स— ITC Limited, c/o Bikaner golden transport corp, near suncity Village-Bad pipali, NH-11, Jaipur sikar Highway, Jaipur, 302013

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: श्री अजय तिवाडी अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1 उपस्थित ।

: श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 व 3 उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:—06.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 5.6.2015 को सायं 3:30 बजे मैसर्स— ए टू जेड डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुन्दर दास मार्ग दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री हरिनारायण पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 10 कार्टून में 70 ग्राम पॉलीपैकिंग में पैक नूडल्स (यप्पी) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इसमें से 1 कार्टून खोलकर 32 मूल पॉलीपैक X 70 ग्राम वजन के नमूने की जाँच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 288 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा नूडल्स (यप्पी) के मूल पॉलीपैक (8 पॉलीपैक X 4) पर चिपकाकर पॉलीपैक को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर उन पर डी.ओ.



प्र० सं० : 8/2017 एफ एस एस एक्ट

व सी.एम.एच.ओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1111 गोंद से चिपकाकर पॉलीपैक को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पॉलीपैक को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर पॉलीपैक पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आये व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पॉलीपैक को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पॉलीपैक एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पॉलीपैक व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च०श्रे०क० मुख्यालय द्वारा दिनांक 8.6.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पॉलीपैक व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1602/एक्ट/2015/556 दिनांक 24.7.2015 डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) के अन्दर प्री पैक मसाला पाउच पर "Name of food, symbol of veg./non veg food, Net wt. and Name & Complete Address of Manufacturer/packer अंकित नहीं होने के कारण पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के नियम 2.2.2(1), 2.2.2(1),(4),(6) and (7) के उल्लंघन के कारण मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) के अन्दर प्री पैक मसाला पाउच पर जानकारी अंकित होना आवश्यक नहीं है। मसाला मिक्स पाउच खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) के साथ एक बन्द रिटेल पैकेज में



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा


प्र० सं० : 8/2017 एफ एस एस एक्ट

एक ईकाई के रूप में एक साथ विक्रय किये जाते हैं यह पैकेज खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेबलिंग अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी आवश्यक घोषणाओं को पूर्ण करता है। खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) के रैपर पर नियमानुसार सभी जानकारी अंकित की गई है तथा मसाला मिक्स पाउच बन्द रिटेल पैकेज का एक भाग है जो अलग से विक्रय हेतु नहीं है। इस प्रकार यह पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग रेगुलेशन 2011 के नियम 2.2.2(1), 2.2.2(1),(4),(6) and (7) का उल्लंघन नहीं है। उक्त परिवाद मात्र खाद्य विश्लेषक द्वारा मिसब्राण्ड बताये जाने के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। परिवाद आधारहीन होने के कारण अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही झोप फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1602/एक्ट/2015/556 दिनांक 24.7.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) का नमूना मिसब्राण्ड होना बताया गया है, परन्तु खाद्य विश्लेषक द्वारा जिस आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (यप्पी) का नमूना मिसब्राण्ड होना बताया गया है। उन नियमों के परिपेक्ष्य में अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं उनके आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने को मिसब्राण्ड माना जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजवीर सिंह चौधरी)
आय निणय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांक: 06.02.2019

कमांक / 294-98

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री हरिनारायण पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा
विक्रेता मैसर्स:- ए टू जेड डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
4. Shri Gireesha Neema ईन्चार्ज व नोमिनी मैसर्स- ITC Limited, C/O Bikaner golden transport corp, near suncity Village-Bad pipali, NH-11, Jaipur sikar Highway, Jaipur, 302013
5. मैसर्स- ITC Limited, C/O Bikaner golden transport corp, near suncity Village-Bad pipali, NH-11, Jaipur sikar Highway, Jaipur, 302013




(राजवीर सिंह चौधरी)
आय निणय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांक: 06.02.2019